

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

27/3/20


पतावली पेशा वकील परीक्षण की
बहुस पर मन्त किया।

वकील पार्थी ने शैरने बहुस
कथन किया की विवाहित श्रृंखला में कल्याण
आवरन से हुमारा डी है, हुमने लोन लेकर
कुआ खुदवाया है। जिसका लेख पतावली में
मौजूद है। जिस जगह कुआ है, वहाँ कजा
हुमारा है। भद्र स्वीकार लय्य है। हुका आवरन
वर्ष 2000 का है, हुमारे आवरन से 20 वर्ष बाद का है।
सुविधा सलून का सिद्धान्त हुमारे पक्ष में है।
यदि हुन्हीने कल्याण कर लिया हुमे अपूरुशी
क्षरि होगी। T.I. जारी की जावे।

वकील अपार्थी ने शैरने बहुस
कथन किया की पार्थी, अपार्थी-2 आपस में
सगे भाई है, ये जमीन ख. न. 698 का मूल
रकबा 17.18 बीघा है, जिसमे से 6 बीघा
अपार्थी स. 3 को व 2 बीघा पार्थी माधोलाल
को Allot हुई है। शैरने अपनी 2 जगह
काबिल चले आ रहे है। ये लय्य हुन्हीने
अपने जवाब में भी लिखा है। शैरने
हुन्हीने लखर की है। माधोलाल के बयानों
में लय्य स्वीकार किया है।

स्वयं में वकील पार्थी ने कहा
कि जिन्हें शैरने हुन्हीने देखा जायेगा। हुमारा आवरन पुराना है।
पाठ्य स्वीकार कर हुन्हीने पाबन्द किया
जावे।

हुमने बहुस के शैरने परलुग लय्यो
पर एमानपूर्वक मन्त किया। जाद मन्त
पुकरण प्रथम हुण्य पार्थी के पक्ष में नहीं
बनता है। सुविधा सलून भी पार्थी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p> के पक्ष में नही बनता है। अतः प्रावण पार्थी खरीज किया जाता है। पञ्जावली फैसल नुमा की जाकर बाद तकमिल नम्बर से कम होकर मूल बाद के साथ सलम रहे। निर्गम शेर इजलास सुनाया गया। </p>	<p>  उपखण्ड अधिकारी रिणडोली (बुन्दी) </p>